


रामक्ष - माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश



१- राजेश गुप्ता पिता काशीनाथ गुप्ता

ଫେବ୍ରୁଆରୀ-୨୦୧୮ | ପ୍ରକାଶିତ | ୩୪୯୮

~~२८~~ गोविन्द गुप्ता पिता काशीनाथ गुप्ता दोनो निवासी ग्राम लालगांव मकान

~~को को निवासी को~~ १०२ गावन्दु गुप्ता पता कारागांव गुदा दगा निवास ब्राह्मण लालापुर
निवास नाम भूमि-भूमि/१ तहसील सिरमौर जिला रीवा मोप्र० ————— निगरानी कर्ता

प्रस्तुति। प्रारंभिक दिनकारी।

ବନ୍ଦମ

~~विदेशी और विदेशी~~ 31-5-18
पाजरस्त मण्डल, म.प्र., काशीनाथ
1- घनश्याम गुप्ता पिता काशीनाथ गुप्ता

2— अशोककुमार गुप्ता तनय काशीनाथ गुप्ता दोनो निवासी ग्राम लालगांव
मुकान नं० 637 तह० सिरमौर जिला रीवा म०प्र० — गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी
महोदय तहसील सिरमौर जिला रीवा द्वारा रा०प्र०क०
107 अ-27/अपील/ 17-18 मे पारित आदेश
दिनांक 29-5-18 एवं 17-4-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्रभुरामसं 1959

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्न लिखित हैं -

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुष्ठि आदेश प्रस्तु

प्रकरण क्रमांक नं० ३३०९/१८/२०१७/४८

२१६२१/८०१२२/२०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारीको के हस्ताक्षर
५/११/१९	<p>आवेदक की ओर से श्री-<u>कृष्ण</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुबिभागीय अधिकारी-<u>कृष्ण</u> के प्रकरण क्रमांक <u>१०७/३१-२७/८०१८/१८</u> में पारित आदेश दिनांक <u>२९-५-१८</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-<u>कृष्ण</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२२/५/१९</u> को कलेक्टर जिला-<u>कृष्ण</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 